न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सं. 52/2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरीये तहसीलदार जोधपुर		मांगीया पुत्र प्रतापराम जाति सांसी निवासी ग्राम दांतीवाडा तह. जोधपुर व अन्य

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति 1.प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार उपस्थित

2.अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दिनांक 22/07/25

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार जोधपुर ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर जाहिर किया कि वाके ग्राम दांतीवाड़ा तहसील जोधपुर के ख.नं. 546 रकबा 65.12 बीघा किस्म जोहड पायतन में से तत्कालीन तहसीलदार द्वारा अप्रार्थीगण को बगैर किसी सक्षम आदेश के ख.546 मी. 01.0 रकबा बी. आवंटन किया गया । वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में आज भी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थना–पत्र में बताया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में विवादग्रस्त भूमि गेर मु. जोहड पायतन दर्ज होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16(ii) के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में आने से उक्त आवंटन/नियमन विधि विरूद्ध एवं गलत होने से निरस्त योग्य है।

प्रार्थना–पत्र (रेंफरेंस) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। बावजूद सूचना अप्रार्थी/अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित। बहस सरकारी पैरोकार की सुनी गई।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

सरकारी पैरोकार की ओर से बताया कि सेटलमेंट सर्वे से पूर्व ग्राम दांतीवाड़ा तहसील जोधपुर के उक्त ख.नं. 546 की भूमि मौजा दांतीवाडा के तत्कालीन जागीरदार श्रीमान किशोरसिंह वल्द फतेहसिंह कौम रावराजा सा देह जागीरदार "मकबूजा खुद काश्त भूमि खेत/जाव नवोड" इन्द्राज किया हुआ है। जो कि सैटलमेंट टीम द्वारा सर्वे संवत 2006 सन् 1951 में उक्त भूमि के परचा खतौनी में मकबूजा जागीर खुद काश्त अभिलिखित है। उक्त पर्चा खतौनी अनुसार मौजा दांतीवाडा के तत्कालीन जागीरदार श्रीमान किशोरसिंह द्वारा अपनी खुदकाश्त भूमि के कुल 09 खसरा से कुल रकबा 542.9 बीघा भूमि को सार्वजनिक हितार्थ जोड/जोहड घोषित किया गया। जिससे वक्त सैटलमेंट से उक्त भूमि किस्म जोहड पायतन दर्ज है।

राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त भूमि में से तत्कालीन तहसीलदार द्वारा नियम विरूद्ध अप्रार्थीगण को ख.546 मी. 01.0 रकबा बी. भूमि आंवटन/नियमन की गई जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपनी बहस में आगे कहा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत "गैर मु. जोहड पायतन" प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने से उसमें किसी प्रकार का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है अतः विवादग्रस्त भूमि के आवंटन करने के आदेश की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 949 ग्राम दांतीवाड़ा तहसील जोधपुर विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार भूमियां जिनमें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें– इस अधिनियम में अथवा राज्य के किसी भाग में उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि या अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए, खातेदारी अधिकार निम्नलिखित में प्राप्त नहीं होगें–

1– गौचर भूमि,

2– नदी तल या तालाब की भूमि जो आकस्मिक या कभी कभी खेती के लिए काम में ली जाती हो ।

3– सिंघाड़ा या अन्य ऐसी ही उपज पैदा करने के लिये काम में ली जाने वाली जलमग्न भूमि,

4– भूमि जो, अदल बदल कर की जाने वाली खेती अथवा अस्थाई कृषि के लिये प्रयोग में आती हो,

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

5– भूमि जिसमें ऐसे बाग लगे हो, जिनकी स्वामी सरकार हो एवं जिनकी देखरेख राज्य सरकार द्वारा की जाती है,

6– किसी सार्वजनिक अभिप्राय अथवा सार्वजनिक हित के कार्य के लिये प्राप्त की गई अथवा धारण की गई भूमि,

7– भूमि जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय अथवा उसके बाद किसी समय सैनिक पड़ाव स्थलों के लिये नियत कर दी जाय,

8– किसी छावनी की सीमाओं के भीतर स्थित भूमि,

9– रेलवे या नहर की सीमा बंधे के भीतर स्थित भूमि,

10– किसी सरकारी वन के सीमा–बंधों के भीतर स्थित भूमि,

11– म्युनिसिपल खाइयों के स्थल,

12– शिक्षण संस्थाओं द्वारा कृषि में शिक्षण के लिये तथा खेल मैदानों के लिये धारणा अथवा प्राप्त की गई भूमि,

13– सरकार के किसी कृषि फार्म या घास के फामर्स की सीमाओं के भीतर स्थित भूमि,

14. भूमि जो किसी गांव या आस पास के गांवों के लिए पीने के पानी जलाशय से या टांके में पानी जाने के लिए अलग रखी गई हो या कलक्टर की राय में, तदर्थ आवश्यक है।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वक्त सेटलमेंट ग्राम दांतीवाड़ा के ख.नं. 546 की किस्म भूमि गेर मुमकीन जोहड पायतन दर्ज है तथा गेर मुमकीन जोहड किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है इसके बावजूद अप्रार्थीगण को खसरा नं. 546 मी. 01.0 रकबा बी. का आवंटन तत्कालीन तहसीलदार द्वारा करते हुए नामान्तरकरण संख्या 949 स्वीकृत किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका (PIL) संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य में आदेश दिनांक 02.08.2004 एवं उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष एस. बी. सिविल याचिका संख्या 11153/11 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये आदेशों की अनुपालना में राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–7) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.4 (89) राज–7 /2003 जयपुर दिनांक 20–25/01/12, परिपत्र क्रमांक प.3 (146) राज–7/2011 जयपुर दिनांक 05.07.2012, परिपत्र क्रमांक प. दिनांक 26.06.2012 एवं प. 10 (3) राज–6/2001–पार्ट/5 जयपुर 10 (3) राज–6/2001–पार्ट/17 जयपुर दिनांक 23.09.2011 में दिये गये निर्देशों में भी

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

ऐसे प्रकरणों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजुई कर आवंटन/नियमन के आदेश निरस्त करा इस स्टेज पर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयों के दृष्टांशों का विवेचन माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा ही कर उचित निर्णय किया जाना न्यायसंगत होगा

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम दांतीवाड़ा के ख.नं. 546 की किस्म भूमि गेर मुमकीन जोहड दर्ज है तथा गेर मुमकीन जोहड किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है जिसमें किसी प्रकार से आंवटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण के नाम से भूमि आवंटन/नियमन करने के कथित आदेश की टिप्पणी करते हुए नामान्तरकरण संख्या 949 स्वीकृत किया गया, जो विधि विरूद्ध होने से शून्य है तथा शून्य आदेश का कानून में कोई अस्तित्व नहीं होने बाबत् विभिन्न न्यायालयों ने भी अभिनिर्धारित किया है।

अतः प्रकरण में ग्राम दांतीवाड़ा तहसील जोधपुर के ख.नं. 546 किस्म गेर मुमकीन जोड/जोहड में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में खसरा. 546 मी. 01.0 रकवा बी. नियमविरूद्ध भूमि आवंटन करने के आदेश एवं उसकी पालना में स्वीकृत समस्त नामान्तरकरण को निरस्त करने के लिए एवं पुनः राजस्व रिकॉर्ड में गेर मुमकीन जोड/जोहड दर्ज करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को उक्त प्रकरण प्रेषित किया जाता है। पक्षकारान माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 25.08.2025 को उपस्थित हो। आदेश सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित RAS)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 22/07/25 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित RAS)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)